

क्रमांक -



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका



श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

के अन्तर्गत

रायपुरा आवासीय योजना

में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग (EWS)
एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के आवासों (जी+3)
का आवंटन



श्री श्रीचन्द्र कृपलानी
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार


आवेदन पत्र का विक्रय
आरम्भ करने की तिथि

14 दिसम्बर
2016

आवेदन पत्र जमा करने
की अन्तिम तिथि

13 जनवरी
2017

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से
कमज़ोर आय वर्ग के आवास पर 1.50 लाख के
अनुदान एवं अल्प आय वर्ग के आवास के लिए
6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु यह
योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना
प्रस्तावित है।



आवेदन पत्र Axis Bank की कोटा स्थित किसी भी शाखा से प्राप्त कर जमा करवाये जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ई-मित्र के समस्त केन्द्रों के द्वारा Online आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध है।



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक Axis Bank के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म मय देय पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट
- सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र राजस्थान के सभी ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से Online भी जमा करवाये जा सकते हैं
2. आयु/जन्म प्रमाण-पत्र
3. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled Cheque CTS 2010 सलांगन करें।
4. आय प्रमाण-पत्र
5. निवास प्रमाण-पत्र
6. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
7. फोटो पहचान-पत्र
8. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व. घोषणा पत्र।

आवेदन पुस्तिका अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित Axis Bank की कोटा शहर स्थित सभी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र मय देय राशि पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से देय ड्राफ्ट एवं निम्नलिखित दस्तावेजों के उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते हैं।

प्रक्रिया का संकेत

- 1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
- 2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
- 3 नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
- 4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
- 5 अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
- 6 कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
- 7 भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
- 8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि खपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।



नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500567

Email: uitkota2002@yahoo.com www.uitkota.org

आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2016 से
13.01.2017 तक रु.300/- के शुल्क पर
एक्सिस बैंक की निम्नलिखित शाखाओं
से बैंक समय प्रातः 9.30 से अपराह्न 4.30 तक प्राप्त
किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में निम्न
बैंक शाखाओं में जमा करवाये जा सकते हैं।



AXIS BANK

Axis Bank Ltd.
414, Shopping Centre, KOTA-324007
Ph.: 0744-2365511-18
Mr. Kulvinder Sharma Mob.: 8875002283

Axis Bank Ltd.
Near T.T. Hospital,
Rangbari Road, KOTA-324005
Ph.: 0744-2407412-14
Mr. Imranuddin Mob.: 7665019553

Axis Bank Ltd.
Opp RAPP Guest House, Station Road,
Bhimganj Mandi, KOTA-324002
Ph.: 0744-2980283
Mr. Navneet Nama Mob.: 9950517823

इसके अतिरिक्त ई-मित्र के समस्त केन्द्रों पर भी योजना हेतु
Online आवेदन किया जा सकता है।



मुद्रक: तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन : 2420103

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत
रायपुरा आवासीय योजना में
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवासों के
पंजीकरण हेतु सामान्य निर्धारण एवं शर्तें

1. प्रस्तावना

भारत की लगभग 26% शहरी आबादी अभी भी ऐसी आमदनी पर जीवन यापन कर रही है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है उनमें ज्यादातर लोग गंदी बस्ती और छोटे घनत्व (बसावट) में अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। ये लोग सम्मानित जीवन, आश्रय, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं के अधिकारों से वंचित हैं। इनकी आमदनी का 80% हिस्सा खान-पान में खर्च हो जाता है और जीवन निर्वाह हेतु अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास आदि के लिए बहुत कम हिस्सा बचता है। भूमि एवं निर्माण लागत में अत्याधिक वृद्धि के कारण ये लोग मूलभूत सुविधाओं से युक्त योजना में आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते और मलिन बस्तियों के अस्वच्छ वातावरण में रहनें को मजबूर हो जाते हैं। देश की करीब एक तिहाई शहरी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है।

अतः शहरी निर्धारण वर्ग को वहनीय (अफोर्डेबल) कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 लागू की गई है, ताकि शहरी निर्धारण वर्ग को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त योजनाओं में कम कीमत पर पक्के आवास उपलब्ध कराये जा सके। इस क्रम में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवास निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई है।

रायपुरा आवासीय योजना कैथुन मार्ग पर थेगड़ा एवं रायपुरा चौराहा के बीच स्थित है। निम्न स्थानों से योजना दूरी निम्नानुसार है : -

तालिका 'अ'

स्थान	दूरी
1. रायपुरा चौराहा से	लगभग 0.50 कि. मी.
2. नये बस स्टेण्ड से	लगभग 5.00 कि. मी
3. एरोड्रम सर्किल से	लगभग 6.00 कि.मी.

2. पंजीकरण एवं प्रशासनिक शुल्क

2.1 आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रशासनिक शुल्क एवं पंजीकरण राशि सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से कोटा शहर में देय डी.डी. / पे ऑडर के रूप में जमा करवानी होगी।

तालिका 'ब'

क्र.सं.	आय वर्ग	प्रशासनिक	पंजीकरण	कुल देय राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	2000/-	10,000/-	12,000/-
2.	अल्प आय वर्ग	3500/-	20,000/-	23,500/-

2.1 योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रशासनिक शुल्क आवास लागत में सम्मिलित नहीं होगा एवं न ही लौटाया जायेगा। पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर दिया जावेगा। पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों को भी जमा प्रशासनिक शुल्क नहीं लौटाया जायेगा, केवल पंजीकरण राशि ही लौटायी जायेगी।

2.2 आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

3. आवासों की संख्या एवं कीमत

योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों की संख्या एवं अनुमानित कीमत का विवरण निम्नानुसार है

तालिका 'स'

क्र.सं.	आय वर्ग	उपलब्ध आवासों की संख्या	आवासों की अनुमानित कीमत (रुपये)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	288	4.18 लाख रुपये
2.	अल्प आय वर्ग	112	6.21 लाख रुपये

3.1 आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत रु. 1.50 लाख प्रति आवास का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। अल्प आय वर्ग के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 6.50 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रवाधान है।

4. आवेदक की पात्रता

4.1 निम्नलिखित वार्षिक आय की सीमा के अनुसार आवेदक योजना हेतु पात्र होंगे

तालिका 'द'

क्र.सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	रु. 1.50 लाख तक
2.	अल्प आय वर्ग	रु. 1.50 से 3.00 लाख तक

- 4.2 राजस्थान राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा योजना में आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- 4.3 आवेदक का कोटा या 1,00,000 से अधिक आबादी वाले राजस्थान के किसी भी शहर में स्वयं का अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आशिंक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिये।
- 4.4 आवेदक व्यस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

5. आवेदन मरने की प्रक्रिया

- 5.1 आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त कर अन्तिम दिनांक तक उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के सभी ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी Online आवेदन जमा करवाये जा सकते हैं।
- 5.2 आवेदन पुस्तिका में निर्धारित फार्म प्रारूप में समस्त जानकारियां शुद्ध हिन्दी में एवं स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० लिखें तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम लिखें।
- 5.3 आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी तरह से चिपकाएं।
- 5.4 आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 5.5 आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
- 5.6 आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम में अपनी श्रेणी इंगित करें।
- 5.7 आवेदक डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के पीछे अपना नाम, चालान क्रमांक एवं मोबाइल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।
- 5.8 आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- i) प्रशासनिक एवं पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति के साथ
 - ii) बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या रद्द चैक
 - iii) आयु/जन्म प्रमाण पत्र
 - iv) स्व घोषणा पत्र
 - v) आय प्रमाण पत्र
 - vi) आधार कार्ड *
 - vii) राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र/राशन कार्ड
 - viii) विशिष्ट श्रेणी में आवेदन हेतु नियत प्रमाण-पत्र।
- सही जानकारी देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- *आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आवेदक अन्य फोटो पहचान पत्र सलग्न कर सकता है परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजनात्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड आवश्यक है।

6. आवास आवंटन हेतु विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण व्यवस्था

- 6.1 योजना में आय वर्गानुसार उपलब्ध आवासों का आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

तालिका 'य'

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ	अनारक्षित श्रेणी
10%	6%	9%	3 %	2%	10%	
					शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)

- 6.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवासों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 6.3 किसी आरक्षित वर्ग में आरक्षण कोटे के प्रतिशत के अनुसार आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिती में उस आरक्षित वर्ग के आवेदनों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- 6.4 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजकीय विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पृथक से undertaking देनी होगी कि परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं करने की स्थिती में आवंटित आवास वापस न्यास को सौंपना होगा। केन्द्रीय सरकार, एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित आवासों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगे।
- 6.5 अनु. जाति / अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.6 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य हो।
- 6.7 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- 6.8 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं सैनिक विधवाओं से है।

- 6.9 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 6.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा/अन्य स्थानीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटित होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होगे।
- 6.11 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 6.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार स्व घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 6.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- अ. उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।
- ब. विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- स. अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- 6.14 विकलांगों (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 3% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

7. आवास का विवरण

उपरोक्त आवासों में निर्मित किये गये सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल एवं सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

तालिका 'र'

क्र.सं.	आय वर्ग	निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट-अप)	कमरे	किचन	शौचालय	स्नानघर	विशेष दिवरण
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग (EWS)	348 वर्ग फीट	2	1	1	1	बालकनी
2.	अल्प आय वर्ग (LIG)	517 वर्ग फीट	3	1	1	1	बालकनी

- निर्मित क्षेत्रफल में पलेट्स का जिंठ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्र सम्मिलित है।

8. आवंटन की प्रक्रिया

- 8.1 आवेदन पत्रों की संवीक्षा तथा प्रशासनिक एवं पंजीकरण शुल्क जमा कराने के आधार पर पात्रता के सत्यापन पश्चात् लॉटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन (वरीयता निर्धारण) किया जायेगा।
- 8.2 उपलब्ध आवासों की संख्या के 10प्रतिशत (कम से कम एक आवास) के समतुल्य आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का भी चयन लाटरी द्वारा किया जावेगा। यह प्रतीक्षा सूची सफल आवेदकों को जारी मांग पत्र की तिथि से 18 माह तक वैध होगी।
- 8.3 सफल आवेदकों को आवास की कीमत जमा कराने हेतु प्रोविजनल आवंटन पत्र / मांग पत्र जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा नहीं करवाने पर राशि जमा कराने में असमर्थ रहे Defaulter आवेदकों का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को प्रोविजनल आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किये जायेंगे।
- 8.4 मांग पत्र के अनुसार सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने पर आवास निर्माण के पश्चात् आवंटी को आवास आवंटन किया जायेगा।
- 8.5 लाटरी में असफल आवंटियों को प्रशासनिक शुल्क काटकर पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।

9. आवास की कीमत का भुगतान

- 9.1 पंजीकरण राशि समायोजन के पश्चात् आवास की कीमत की शेष देय राशि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 'ल'

क्र.सं. 1	आय वर्ग 2	आवास की लागत 3	पंजीयन राशि 4	साइट प्लान 5	कुल देय राशि (3-4+5) 6
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4,18,000	(-)10,000.00	(+) 200.00	4,18,200.00
2.	अल्प आर्य वर्ग	6,21,000	(-)20,000.00	(+) 200.00	6,01,200.00

9.2 देय राशि निम्नानुसार आठ किश्तों में जमा करवानी है।
तालिका 'व'

क्र.सं.	पूर्वग्रहण राशि की किश्तें	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग
1.	प्रथम किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 30 दिवस में	58,200.00	75,000.00
2.	द्वितीय किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 120 दिवस	50,000.00	75,000.00
3.	तृतीय किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 210 दिवस	50,000.00	75,000.00
4.	चतुर्थ किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 300 दिवस	50,000.00	75,000.00
5.	पंचम किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 390 दिवस	50,000.00	75,000.00
6.	षष्ठम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 480 दिवस	50,000.00	75,000.00
7.	सप्तम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 570 दिवस	50,000.00	75,000.00
8.	अष्टम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 660 दिवस	50,000.00	76,200.00
कुल देय राशि		408200.00	601200.00

9.3 अल्प आय वर्ग के आवंटी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधान ऋण आधारित सब्सिडी योजना (Credit Linked subsidy scheme) के तहत रियायती ब्याज दर पर रु. 6.00 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

9.4 सफल आवेदक द्वारा आवास पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवंटी को सम्बन्धित बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पत्र प्रस्तुत करना होगा, फर्त्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी।



आवेदन - पत्र

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत

रायपुरा आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु

1. आवेदक का नाम	2. पिता / पति का नाम	3. जन्म तिथि	4. राष्ट्रीयता	5. व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप	6. पत्र व्यवहार का पता
पिन कोड नं.	मोबाइल नं. (आवश्यक)				
7. आवेदक के बैंक खाते का विवरण :- खाता संख्या	IFSC Code	8. बैंक का नाम एवं शाखा	9. आवेदक / आवेदिका की कुल वार्षिक आय (रु. में)	(अ) स्वयं की	कुल वार्षिक आय (अ+ब) :
(ब) आक्रितों की आय					
10. आय वर्ग (किसी एक पर चिन्हित करें।)	(EWS) ()	(LIG) ()			
11. 1. आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग					
2. अल्प आय वर्ग					
12. प्रशासनिक शुल्क एवं पंजीकरण राशि	बैंक ड्राफ्ट सं.	दिनांक	बैंक का नाम		
13. आरक्षित वर्ग में आवंटन हेतु निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (किसी एक श्रेणी में) इंगित करें (प्रमाण - पत्र संलग्न करें)			राज्य सरकार के कर्मचारी	अनु जाति (SC)	
			अनु जनजाति (ST)	भू. पू. सैनिक / सैनिकों की विधवा	
			विकलांग	अधिस्थीकृत पत्रकार *	
14. निम्न दस्तावेज संलग्न करें।					
प्रशासनिक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति के साथ	()	बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या रद्द चैक (CTS2010)()			
आयु / जन्म प्रमाण पत्र	()	स्व-घोषणा पत्र			()
आय प्रमाण पत्र	()	फोटो पहचान पत्र			()
राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण/राशन कार्ड	()	विशिष्ट श्रेणी में आवेदन हेतु नियत प्रमाण-पत्र संलग्न			()
15. क्या स्वयं अथवा आक्रित संबंधी के पास पूर्णतया भाग के रूप में कोई फी होल्ड पट्टे पर कोटा में आवासीय भूखण्ड या मकान है या हाँ तो उसका विवरण.					
16. सत्यापित्ता कथन :					
क. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।					
ख. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।					
ग. मेरा या मेरे आक्रितों का शहर क्षेत्र जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा / रही हूँ मैं पूर्णतया अथवा भाग रूप में फी होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लाट या आवास नहीं है।					

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक :

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

नगर विकास न्यास, कोटा

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत

रायपुरा आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु

.....
.....
.....
.....
.....

जमा राशि

बैंक व शाखा का नाम

जमा करने की तिथि

Axis Bank

खाता संख्या -916020081693812 Axis Bank 	खाता संख्या -916020081693812 Axis Bank 
नगर विकास न्यास, कोटा चतुर्थ प्रति (बैंक हारा अपने पास रखने हेतु) दिनांक	नगर विकास न्यास, कोटा तृतीय प्रति (बैंक हारा स्ट्रेट्रैट के साथ यूआईटी० को प्रस्तुत करने हेतु) दिनांक
आवेदक का नाम पता / पति का नाम पता पता	आवेदक का नाम पता / पति का नाम पता पता
मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से EWS कमज़ोर आय वर्ग	विवरण फपये रासासनिक शुल्क जीकरण राशि विवरण फपये प्रशासनिक शुल्क पंजीकरण राशि विवरण फपये बैंक छापट नं0..... रीकर्ता बैंक..... योग :- 12000/-
आवेदक के हस्ताक्षर असरे फपये बारह हजार मात्र	आवेदक के हस्ताक्षर योग :- 12000/-

खाता संख्या -	9160200816938	आवेदक के हस्ताक्ष
Axis Bank		
नगर विकास न्यास, कोटा		
प्रथम प्रति		
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)		
चालान नं.	दिनांक	
आवेदक का नाम पिता / पति का नाम		
पता		
मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से EWS कमज़ोर आय वर्ग		
विवरण	रुपये	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-	
पंजीकरण राशि	10,000	
बैंक फ्रेपट नं0.....		
जारीकर्ता बैंक		
	योग :-	12000/-
अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र		

-916020081693812
Axis Bank

खाता संख्या -916020081693812
Axis Bank

खाता संख्या -916020081693
Axis Bank

तृतीय प्रति	दिनांक
चालान नं.
आवेदक का नाम
पिता / पति का नाम
पता
मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	LIG
विवरण	रुपये
प्रशासनिक शुल्क	3500/-
पंजीकरण राशि	20,000/-
बैंक ह्रापट नं0.....
जारीकर्ता बैंक.....
योग :-	23500/-
अक्षरे रुपये तैईस हजार पाँच सौ मात्र

चतुर्थ प्रति	दिनांक
(ैंक हारा अपने पास रखने हेतु)	
आवेदक का नाम	
पिता / पति का नाम	
पता	
अध्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से LIG कमज़ोर आय वर्ग	
विवरण	रुपये
प्रशासनिक शुल्क	3500/-
संजीकरण राशि	20,000/-
३०क छापट नं०	
जारीकर्ता बैंक	
योग :-	23500/-

प्रियं प्रियं

(वैक हारा अपने पास रखने हेतु) (वैक हारा स्ट्रेट के साथ यूआईटी० को प्रस्तुत करने हेतु)

आतेक का चालान ने दिनांक
आतेक का चालान ने दिनांक

पिता / पति का नाम
पिता / पति का नाम

पता	<p>मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग</p>
-----	---

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
प्रशासनिक शुल्क	3500/-	प्रशासनिक शुल्क	3500/-
मंजीकरण राशि	20,000/-	पंजीकरण राशि	20,000/-

जारीकर्ता बैंक	योग :-	23500/-
बैंक ह्रापट नं0.....		
जारीकर्ता बैंक		
बैंक ह्रापट नं0.....		

अक्षरे रूपये तैईस हजार पाँच सौ मात्र
आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

卷之三

(जमाकर्ता द्वारा अपने कार्य के साथ संलग्न करने हेतु) (जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

आतेक का चालान ने दिनांक
आतेक का चालान ने दिनांक

पिता / पति का नाम
पिता / पति का नाम

पता
पता
मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2015 के प्रावधान
के अन्तिगत रायपुरा आवासीय योजना
आर्थिक दृष्टि से
कमज़ोर आय वर्ग
मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2015 के प्रावधान
के अन्तिगत रायपुरा आवासीय योजना
आर्थिक दृष्टि से
कमज़ोर आय वर्ग

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
प्रशासनिक शुल्क	3500/-	प्रशासनिक शुल्क	35
पंजीकरण राशि	20,000/-	पंजीकरण राशि	20,00

बैंक ड्रापट नं०	जारीकर्ता बैंक	योग :-
.....	23500/-

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्षर

तत्त्वीय परिप

(वैक हारा अपने पास रखने हेतु) (वैक हारा स्टेटमेंट के

आतेहक का चाम
चालान नों. दिनांक

पिता / पति का नाम
पिता / पति का नाम

पता	<p>मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग</p>
पता	<p>मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग</p>

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
प्रशासनिक शुल्क	3500/-	प्रशासनिक शुल्क	3500/-
मंजीकरण राशि	20,000/-	पंजीकरण राशि	20,000/-

योग :-	23500/-
जारीकर्ता बैंक.....	
बैंक ह्राफट नं0.....	
बैंक ह्राफट नं0.....	
योग :-	23500/-

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्षर